संघ लोक सेवा आयोग

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (पुलिस उपाधीक्षक), सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, **2023**

संघ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक की रिक्तियों को भरने के लिए दिनांक **16 एवं 17 मार्च, 2024** को सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, **2023** का आयोजन करेगा। यह परीक्षा दिल्ली में आयोजित की जाएगी। रिक्तियों की अनुमानित संख्या **23 (अनारक्षित - 18, अ.जा.-03, अ.ज.जा.-02)** है।

2. यह परीक्षा केवल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में कार्यरत कुछेक श्रेणियों के विभागीय उम्मीदवारों तक सीमित है। **उम्मीदवार, पात्रता की शर्तें, परीक्षा पाठ्यक्रम तथा योजना, शारीरिक मानदंड आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 20.12.2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित इस परीक्षा की नियमावली का अवलोकन करें। यह नियमावली संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध होगी।**

3. **आवेदन कैसे करें/आवेदन करने की अंतिम तिथि**

3.1 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का अंतिम तिथि 0**9 जनवरी, 2024** है, जिसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी अनुदेश अनुबंध-I में दिए गए हैं।

3.2 उम्मीदवारों को ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति, उचित माध्यम से, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्राधिकारियों को निम्नलिखित पते पर भी भेजनी होगी: **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003,** ताकि सत्यापन के उपरांत इन आवेदन पत्रों को आयोग को अग्रेषित किया जा सके। ऑनलाइन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय में प्राप्त करने की अंतिम तिथि 24.01.2024 तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय से संघ लोक सेवा आयोग में प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15.02.2024 है।

4. ऑनलाइन प्रश्न-पत्र अभ्यावेदन पोर्टल (QPRep)

आयोग ने परीक्षा के प्रश्न-पत्रों में पूछे गए प्रश्नों के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा आयोग को किए जाने वाले अभ्यावेदनों के लिए 07 दिन (एक सप्ताह) की समय सीमा अर्थात् परीक्षा की तिथि के अगले दिन से सातवें दिन सायं 06.00 बजे तक निर्धारित की है। ऐसे अभ्यावेदन "ऑनलाइन प्रश्न-पत्र अभ्यावेदन पोर्टल" ["Online Question Paper Representation Portal (QPRep)"] के यूआरएल http://upsconline.nic.in/miscellaneous/QPRep/ के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाएं। ई-मेल/डाक/दस्ती रूप या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा इस संबंध में आयोग उम्मीदवारों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा। इस 07 दिन की अवधि के बाद किसी भी स्थिति में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. इस परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों के ई-प्रवेश पत्र, परीक्षा के आयोजन की तिथि से **एक सप्ताह** पहले संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in

पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जहां से पात्र उम्मीदवार इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा कोई कागजी प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

6. मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं है:

(क) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (यहां तक कि स्विच ऑफ मोड में भी), पेजर या अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच आदि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाले किसी अन्य उपकरण या अन्य संबंधित एक्सेसरीज चालू अथवा स्विच ऑफ मोड में, के प्रयोग पर प्रतिबंध है।

(ख) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि परीक्षा भवन परिसर में वे अपने साथ प्रतिबंधित वस्तुएं यथा मोबाइल फोन अथवा अन्य कोई मूल्यवान / कीमती सामान न लाएं क्योंकि परीक्षा-स्थल परिसर में इन वस्तुओं को सुरक्षित रखने का कोई प्रबंध नहीं किया जाएगा। इस संबंध में हुई किसी क्षति के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (पुलिस उपाधीक्षक), सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2023 के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें।

ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले कृपया निम्नलिखित अनुदेशों को पढ़ लें:

1. उम्मीदवार परीक्षा के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें:

इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, विनिर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन पूर्णत: **अनंतिम** होगा।

उम्मीदवार को ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाने मात्र का तात्पर्य यह नहीं होगा कि आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी को अंतिम रुप से स्वीकार कर लिया गया है।

2. आवेदन कैसे करें:

(क) उम्मीदवारों को वेबसाइट (http://www.upsc.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना होगा। यदि आवेदक ने संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट में पहले से ही उपलब्ध लिंक से अभी तक एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) प्लेटफॉर्म में पंजीकरण नहीं किया है, तो पहले उसे इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करना होगा और उसके बाद ही परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी विस्तृत अनुदेश संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। उम्मीदवार यह सुनिश्चति करे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के सभी कॉलम सही भरे गए हैं। आयोग, उम्मीदवारों द्वारा, ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में किसी प्रकार के परिवर्तन करने संबंधी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा।

(ख) ओटीआर विवरण में संशोधन:

यदि उम्मीदवार अपने ओटीआर विवरण में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसे ओटीआर प्लेटफार्म पर पंजीकरण के उपरांत ऐसा करने की अनुमति अपने जीवनकाल में केवल एक बार होगी। ओटीआर विवरण में डेटा परिवर्तन की सुविधा, आयोग की किसी भी परीक्षा के लिए उम्मीदवार के पहले फाइनल आवेदन की आवेदन विंडो बंद होने के बाद के अगले दिन से **7** दिनों तक उपलबध रहेगी। यदि ओटीआर पंजीकरण के उपरांत इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार प्रथम बार आवेदन करता है तो ओटीआर विवरण में संशोधन करने की अंतिम तारीख **16.01.2024** होगी।

(ग) आवेदन पत्र में संशोधन (ओटीआर विवरण के अतिरिक्त):

आयोग ने इस परीक्षा की आवेदन विंडो के बंद होने के अगले दिन से, इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र के किसी भी भाग(गों) में संशोधन(नों) करने की सुविधा देने का भी निर्णय लिया है। यह विंडो, इसके खुलने की तारीख से **7** दिनों के लिए अर्थात **10.01.2024 से 16.01.2024** तक खुली रहेगी। यदि कोई उम्मीदवार इस अवधि के दौरान अपने ओटीआर विवरण में कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो वह ओटीआर

प्लेटफार्म में लॉग-इन करके आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। अन्य शब्दों में, आवेदन पत्र में संशोधन के लिए विंडो के माध्यम से ओटीआर विवरण में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

3. आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि:

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि **09 जनवरी, 2024 को सायं 6.00 बजे तक** है, जिसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो प्राधिकारियों द्वारा** संलग्नकों/प्रमाण-पत्रों सहित **ऑनलाइन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 24 जनवरी, 2024 है और सत्यापन के उपरांत आयोग को प्रेषित करने की अंतिम तिथि 15.02.2024 है।**

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (पुलिस उपाधीक्षक), सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2023 हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी दिशा-निर्देश

कृपया www.upsc.gov.in वेबसाइट पर लॉग-ऑन करें और "Application for **CBI-LDCE, 2023**" (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (पुलिस उपाधीक्षक), सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा-**2023**) हेतु आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

1. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, **2023** के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले www.upsconline.nic.in वेबसाइट पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा।
2. कृपया "लॉग-इन" बटन के नीचे दिए गए लिंक पर विधिवत क्लिक करके अपना पंजीकरण अकाउंट बनाएं।
3. कृपया अपना ई-मेल दर्ज करें तथा पुन: अपना ई-मेल पता दर्ज करें।
4. स्क्रीन पर दिखाई देने वाली रैंडम संख्या को प्रविष्ट करें और 'सबमिट' बटन को क्लिक करें।

कृपया ध्यान दें: (क) * चिह्न लगे सभी फील्ड अनिवार्य हैं और इन्हें अवश्य भरा जाना चाहिए।

(ख) कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपने ई-मेल पते हेतु विनिर्दिष्ट स्थान पर वैध और सक्रिय ई-मेल पता दिया है क्योंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आपके पासवर्ड सहित आपकी पंजीकरण आईडी (आरआईडी) आपके द्वारा दिए गए ई-मेल पते पर मेल की जाएगी।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसंबर, 2023

नियमावली

संख्या 202/90/2023-एवीडी-II केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक की रिक्तियों को भरने हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष **2024** में आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की नियमावली सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

1. परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबद्ध उम्मीदवारों की रिक्तियों के संबंध में आरक्षण सरकार द्वारा नियत किया जाएगा।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का आयोजन इस नियमावली के परिशिष्ट–I में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

परीक्षा कब और कहां होगी यह आयोग द्वारा निश्चित किया जाएगा।

3. उम्मीदवार ने निर्णायक तिथि अर्थात् 01 जनवरी, 2023 को, उपनिरीक्षक (वेतन मेट्रिक्स का वेतन स्तर 7) या निरीक्षक (वेतन मेट्रिक्स का वेतन स्तर 8) रैंक में 04 वर्ष की नियमित सेवा (प्रशिक्षण अवधि सहित) पूरी कर ली हो तथा उम्मीदवार का सेवा प्रलेख संपूर्ण रूप से निष्कलंक होना चाहिए।

4. उम्मीदवार की आयु, पात्रता की निर्णायक तिथि अर्थात् 01.01.2023 को 40 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए अर्थात उसका जन्म 02 जनवरी, 1983 से पहले न हुआ हो। तथापि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार के मामले में उपर्युक्त निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की अधिकतम छूट प्रदान की जाएगी।

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी परिस्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।

5. सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक है।

6. नियमावली के परिशिष्ट-II में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक के चयन हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2023 में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को निर्धारित शारीरिक मानक पूरे करने होंगे।

7. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में परीक्षा के नियमों की अधिसूचना जारी होने और आयोग द्वारा

परीक्षा का नोटिस प्रकाशित होने के बाद उम्मीदवार को संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरना होगा तथा उसकी एक प्रति (हार्ड कॉपी) सत्यापन तथा आगे आयोग को भेजने हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्राधिकारियों को उचित माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी। निर्धारित पात्रता शर्तो के अनुसार उम्मीदवारों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए आवेदनों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जाएगी। तथापि, परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी भी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार करने तथा उसकी पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

8. परीक्षा के लिए आवदेन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिए आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात् लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण तथा व्यक्तित्व परीक्षण /साक्षात्कार में उनका प्रवेश पूर्णतः **अंनतिम** होगा, जो उनके निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा। यदि लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षणों या व्यक्तित्व परीक्षण /साक्षात्कार के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता शर्तो में से कोई शर्त पूरी नहीं करते हैं, तो परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी **रद्द** कर दी जायेगी ।

9. इस परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों के प्रवेश-पत्र संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, जिसे पात्र उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग द्वारा कागजी ई प्रवेश-पत्र जारी नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार के पास डाउनलोड किया गया ई-प्रवेश पत्र नहीं होने की स्थिति में उन्हें परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

10(1) जो उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया है:-

(क) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, नामशः

(i) गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या

(ii) दबाव डालना, या

(iii) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा

(ख) प्रतिरूप धारण, अथवा

(ग) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रुप से कार्य कराया है, अथवा

(घ) जाली/गलत दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(ङ) आवेदन फॉर्म में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत या गलत फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करना।

(च) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, अथवा

(छ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, नामशः

(i) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना; या

(ii) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना;

(ii) परीक्षकों को प्रभावित करना; या

(ज) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना अथवा अपनाया जाना; अथवा

(झ) स्क्रिप्टों पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा असंगत सामग्री लिखना; अथवा

(ञ) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है; अथवा

(ट) परीक्षा आयोजन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो, धमकी दी हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; अथवा

(ठ) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (यहां तक कि स्विच ऑफ मोड में भी), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच आदि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण या अन्य संबंधित एक्सेसरीज (चालू या स्विच ऑफ मोड में) प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया गया हो; अथवा

(ड) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए प्रवेश-पत्रों के साथ जारी आदेशों का उल्लंघन किया है; अथवा

(ढ) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो या जैसा भी मामला हो;

तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासिक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही उसे आयोग द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत परीक्षा जिसका वह उम्मीदवार है, में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा और/अथवा उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जाएगा।

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए;

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से;

यदि वह पहले से ही सरकारी सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है;

बशर्ते कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक-:

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया जाए।

(2) 10 कोई भी व्यक्ति जो आयोग द्वारा उक्त खंड (क) से (ड) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार (रों) के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध खंड (ढ) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

11(1) जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा उनके विवेकाधिकार से निर्धारित किए गए ऐसे न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा शारीरिक मानदण्ड परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा जिससे यह जांच हो सके कि क्या वे इस नियमावली के परिशिष्ट-II में विनिर्दिष्ट शारीरिक मानदण्डों को पूरा करते हैं।

11(2) आयोग अपने विवेक से किसी भी स्तर पर किसी एक अथवा सभी पेपरों में न्यूनतम अर्हक मानदंड निर्धारित कर सकता है तथा साथ ही अपने विवेक से केवल ऐसे उम्मीदवारों के विवरणात्मक पेपरों, जिसमें उन्होंने आयोग के विवेकाधिकार द्वारा निर्धारित वस्तुनिष्ठ पेपर (पेपर-I) में न्यूनतम अर्हक मानदंड प्राप्त किए हों, का मूल्यांकन कर सकता है।

11(3) परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को मानकों मे छूट प्रदान करते हुए शारीरिक मानदंड परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है यदि आयोग को ऐसा लगे कि इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए लिखित परीक्षा में सामान्य मानकों के आधार पर शारीरिक मानक परीक्षणों के लिए इन श्रेणियों से आवेदकों की पर्याप्त संख्या मिलने की संभावना नहीं हैं।

11(4) शारीरिक मानदंड परीक्षण का संचालन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पर्यवेक्षण में होगा।

11(5) ऐसे उम्मीदवार जिन्हें शारीरिक मानदण्ड परीक्षणों में अर्हक घोषित किया जाता है, उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के 200 अंक होंगे।

11(6) साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण सक्षम तथा निष्पक्ष व्यक्तियों के बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाएगा जिनके समक्ष उम्मीदवारों का रिकार्ड होगा। उम्मीदवार से उनके संबंधित क्षेत्र तथा सामान्य अभिरूचि के विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगें ताकि उनकी जानकारी और समझ की जांच हो सके। व्यापक तौर पर यह न केवल उनकी मानसिक योग्यता बल्कि उनके सामाजिक गुणों और चरित्र की सत्यनिष्ठा का मूल्यांकन होगा। बोर्ड, विस्तृत रूप से, अन्य बातों के साथ-साथ उम्मीदवार का निम्नलिखित मूल्यांकन करेगाः

(i) शारीरिक बनावट

(क) रूप-रंग

(ख) आचरण

(ग) शिष्टाचार एवं शिष्टता

(ii) सामान्य बुद्धिमता, अभिरूचि एवं रूचि

(क) तथ्यों एवं स्थितियों को समझने उनका विश्लेषण करने तथा उनको प्रस्तुत करने की योग्यता ।

(ख) कार्य से संबंधित अभिरूचि जैसे अनुशासन, सहानुभूति आदि

(ग) पाठ्येतर गतिविधियां - खेलों, खेल-कूद, वाद-विवादों आदि में भागीदारी ।

(iii) मनोवृत्ति

(क) नेतृत्व, संचालन, संकल्प, शीघ्र निर्णय लेना आदि

(ख) आत्मनिर्भरता

(ग) तनाव एवं संकट का सामना करने की योग्यता

(घ) साहस-नैतिक एवं शारीरिक

(iv) व्यक्त्वि का व्यावहारिक पहलू

(क) उच्चाधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अंतःवैयक्तिक संबंध

(ख) मूल्यों, सत्यनिष्ठा, धर्मनिर्पेक्षता तथा राष्ट्रीय अभिमुखीकरण के प्रति वचनबद्धता

11(7) जो उम्मीदवार शारीरिक मानदण्ड परीक्षणों में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

12(1) साक्षात्कार के बाद, परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप सें प्रदान किए गये कुल अंकों के आधार पर आयोग द्वारा उम्मीदवारों का योग्यता क्रम बनाया जायेगा जोकि परीक्षा के प्रत्येक पेपर / भाग में आयोग द्वारा यथानिर्धारित अर्हता प्राप्त करने के अध्यधीन होगा।

श्रेणी-वार योग्यता सूची, रिक्तियों की संख्या तथा उम्मीदवारों की योग्यता एवं पात्रता की सभी शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन होगी। परीक्षा के किसी एक या सभी स्तर(रों) या पेपर(रों) हेतु न्यूनतम अर्हत मानकों के निर्धारण का अधिकार आयोग को है।

12(2) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीवारों सहित सभी उम्मीदवारों के अंतिम चयन का निर्धारण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/16/2019-स्थापना (आरक्षण) दिनांक 12.04.2022 के तहत जारी दिशानिर्देशों के आधार पर, एसएलपी (सी) संख्या 30621/2011 के परिणामस्वरूप दायर सिविल अपील संख्या 629/2022 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगा।

बशर्ते यह भी कि जो उम्मीदवार योग्यता क्रम में अर्हता प्राप्त करते हैं परन्तु जिनका शारीरिक मानदण्ड परीक्षण का परिणाम लम्बित है, उनकी अनुशंसा अनंतिम तौर पर की जाएगी।

13. प्रत्येक उम्मीदवार की परीक्षा का परिणाम संप्रेषित करने के तरीके तथा प्रकार का निर्णय आयोग द्वारा उनके विवेक से किया जाएगा तथा आयोग परिणाम के संबंध में उनके साथ किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नही करेगा।

14. उम्मीदवार को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिससे सेवा के अधिकारी के रूप में उसके कार्यो के निष्पादन में व्यवधान आने की संभावना हो। जो उम्मीदवार सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा विनिर्धारित ऐसी शारीरिक जांच के बाद इन उपेक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर पाते, उन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा।

15. अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची आयोग द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को भेजी जाएगी ताकि उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जा सके।

16. उम्मीदवार को परीक्षा देने के लिए किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता/ यात्रा खर्च देय नही होगा।

{कुंदन नाथ }

भारत सरकार के अवर सचिव

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक के पद हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम

(I) लिखित परीक्षा की योजना :

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के अंतर्गत निम्नानुसार तीन पेपर शामिल होंगे :

- **पेपर–I सामान्य अभिरुचि परीक्षण (वस्तुनिष्ठ प्रकार)- ऋणात्मक अंकन के बिना** **300 अंक (2 घंटे)**

क. सामान्य अध्ययन	**150 अंक**
ख. संख्यात्मक योग्यता एवं कंप्यूटर कौशल	**75 अंक**
ग. भारत का संविधान	**75 अंक**

- यह पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न) का होगा। इसके अंतर्गत 120 प्रश्न होंगे जो हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होंगे। यह पेपर उच्चतर माध्यमिक (हायर सेकेन्ड्री) स्तर का होगा।

पेपर–II अंग्रेजी (अर्हक पेपर) – विवरणात्मक प्रकार **200 अंक (3 घंटे)**

- भाग क – निबंध **80 अंक**
- भाग ख - कांप्रीहेंशन पैसेज, सार लेखन,

साधारण व्याकरण तथा भाषा परीक्षण के अन्य पहलू **120 अंक**

यह पेपर विवरणात्मक प्रकार का होगा, जिसके अंतर्गत प्रश्न अंग्रेजी में होंगे और प्रश्नों के उत्तर लिखने का निर्धारित माध्यम भी अंग्रेजी होगा। इस पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे। यह पेपर मैट्रिकुलेशन स्तर का होगा।

- **पेपर – III आपराधिक विधि (विवरणात्मक प्रकार)** **300 अंक (3 घंटे)**

भाग क– **150 अंक**

आपराधिक न्याय प्रणाली तथा संवैधानिक सुरक्षा

भारतीय दंड संहिता, 1860

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946

शस्त्र अधिनियम, 1956

भाग ख- **150 अंक**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003

यह पेपर विवरणात्मक प्रकार का होगा, जिसमें प्रश्न द्विभाषी (हिंदी/अंग्रेजी) रूप में दिए होंगे और प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखने का निर्धारित माध्यम भी द्विभाषी (हिंदी/अंग्रेजी) होगा। इस पेपर में कुल 8 प्रश्न होंगे जो दो खंडों, अर्थात् खंड-क तथा खंड-ख में विभाजित होंगे। इन प्रश्नों में से उम्मीदवारों को पांच प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। प्रश्न 1 तथा प्रश्न 5, अनिवार्य प्रश्न होंगे। शेष छह प्रश्नों में से उम्मीदवारों को किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, परंतु उन्हें प्रत्येक खंड में से कम से कम एक प्रश्न का चयन करना होगा। यह पेपर स्नातक स्तर का होगा।

<u>नोट-1</u> : उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे अपने उत्तर, उपरोक्तानुसार परीक्षा के विभिन्न घटकों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित माध्यम में ही लिखें। यदि किसी पेपर में, निर्धारित माध्यम के अलावा किसी अन्य माध्यम में उत्तर लिखे गए, तो उसके लिए कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे।

<u>नोट-2</u> : प्रत्येक पेपर के लिए आयोग द्वारा अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक निर्धारित किए जाएंगे।

<u>नोट-3</u> : शारीरिक परीक्षण में अर्हक हुए उम्मीदवारों को आयोग द्वारा आयोजित व्यक्तित्व परीक्षण / साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा।

- **व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार** **200 अंक**

(II) लिखित पेपरों के पाठ्यक्रम

<u>पेपर-I (वस्तुनिष्ठ प्रकार)</u>

भाग-क सामान्य अध्ययन

• सिंधु घाटी की सभ्यता- विशेषताएं, पूर्व वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल- समाज, राजनीतिक व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था; भारत- छठी शताब्दी ई.पू. से गुप्त काल तक- महाजनपद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य; उत्तर मौर्य युग (कुषाण, सातवाहन); संगम युग; साम्राज्यवादी गुप्त; क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव- पाल, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, चह्माण (चौहान); दिल्ली सल्तानत की नींव, विस्तार और समेकन; मुगल साम्राज्य का उद्भव और समेकन; भक्ति तथा सूफी आंदोलन; प्राचीन काल से उत्तर मध्याकाल तक महिलाओं की स्थिति पर सामान्य विमर्श; प्राचीन भारत की महिला दार्शनिक तथा पैगंबर; प्राचीन तथा मध्यनकालीन भारत की महिला संत तथा कवयित्रियां।

• भारत में ब्रिटिश शासन की स्थासपना तथा समेकन; भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन (1857-1947) : 1857- प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1919 तक राष्ट्रावादी आंदोलनों का रूझान, महात्मा गांधी और राष्ट्रवादी आंदोलन, महिला स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका; आधुनिक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाएं।

• सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन; महिला संगठनों की भूमिका तथा बीसवीं सदी में उनके द्वारा लाए गए सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव।

• पृथ्वी प्रणाली : क्रमागत उन्नति, संरचना, चाल, महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति; टेक्टॉानिक्स ; भूकंप तथा ज्वालामुखी। हिमनदों, नदियों, हवाओं तथा महासागरों की भूमिका। मृदा तथा वनस्पतियों के प्रकार। वायुमंडल, मौसम एवं जलवायु: उष्णाकटिबंधीय तथा परा-उष्णकटिबंधीय चक्रवात। समुद्री भू-आकृतियां, ज्वार-भाटा, धाराएं।

• भारत : स्थान; फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति। मानसून और ऋतुएं। जनसंख्या संबंधी विशेषताएं; जन्म, मृत्यु एवं प्रवासन; ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। कृषि, उद्योग एवं व्यापार। भूमि, जल और हवाई परिवहन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस)। प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरे और आपदाएं। आपदा प्रबंधन।

• भारत सरकार के बजट, बजट घाटे (राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा); भारतीय वित्तीय प्रणाली: बैंकिंग, बीमा और शेयर बाजार; 1991 से भारत में आर्थिक सुधार : विशेषताएं; भारत में मानव विकास सूचकांक- मानदंड एवं रैंकिंग; भारत और अंतर्राष्ट्रीय संगठन: विश्व व्यापार संगठन, आईएमएफ और आईबीआरडी।

• आवासन, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य सुरक्षा, मनरेगा, एनएचआरएम, आरटीई के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक नीतियां; भारत की विदेश नीति: पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध : संयुक्ता राज्य अमेरिका, चीन।

भाग- ख संख्यात्मक योग्यता एवं कम्प्यूटर कौशल

• लाभ और हानि, मूल्य और व्यय, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, गति और दूरी, वास्तविक संख्याओं का युक्तिकरण, फ्रैक्शन और अनुपात, आंकड़ों की व्याख्या, बहुपद और समीकरणों के मूल, रेडियन और डिग्री माप, मौलिक त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी, ऊंचाई और दूरी, संख्या श्रृंखला और कोडिंग।

• सीपीयू, मेमरी, आई/ओ डिवाइस, यूपीएस, एप्लीलकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मेमरी यूनिट, बूलियन ऑपरेशन, नंबर सिस्टम, एल्गोरिदम, फ्लोचार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर नेटवर्क, ईथरनेट, मॉडम, राउटर, स्विच, गेटवे इंटरनेट, इंट्रानेट, ई-मेल, मोबाइल संचार प्रौद्योगिकियां: 1जी, 2जी, 3जी, 4जी, 5जी, वाई-फाई, वाई-मैक्स, वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन उपकरण, स्प्रेडशीट, ऑडियो-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, ई-कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग, वायरस, वर्म, फायरवॉल, हैकिंग, स्पैम, मैलवेयर।

भाग-ग भारत का संविधान

• संविधान का दर्शन : प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और कर्तव्य और मार्गदर्शी सिद्धात; संघीय कार्यपालिका : राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद; संघीय संसद : संरचना, भूमिका और कामकाज, संसदीय समितियां; न्यायपालिका : सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा; राज्यों में कार्यपालिका और विधायिका : राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल; भारत में संघवाद : विशेषताएं, केंद्र-राज्य संबंध, अंतर-राज्य संबंध। प्रमुख संवैधानिक संशोधन।

<u>पेपर-II अंग्रेजी (अर्हक पेपर) - विवरणात्मणक प्रकार</u>

भाग- क- निबंध

भाग- ख कांप्रीहेंशन पैसेज, सार लेखन, साधारण व्याकरण तथा भाषा परीक्षण के अन्य पहलू

पेपर- III आपराधिक विधि (विवरणात्मक प्रकार)

भाग-क

1. आपराधिक न्याय प्रणाली तथा संवैधानिक सुरक्षा

1.1 नागरिक स्वतंत्रता अधिकार

1.2 स्वतंत्रता पर पाबंदी

1.3 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण : कार्योत्तर कानूनों के विरुद्ध संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण और स्वं-अभिशंसन से संरक्षण

1.4 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार : निष्पक्ष न्याय, त्वरित सुनवाई और कानूनी सहायता का अधिकार; प्रक्रियात्मक निष्पक्षता

1.5 गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार

1.6 निवारक निरोध कानूनों के तहत बंदियों के अधिकार

1.7 संवैधानिक उपचार और जनहित याचिका का अधिकार

1.8 सिविल सेवकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय

2. भारतीय दंड संहिता, 1860

2.1 संहिता की प्रयोज्यता और क्षेत्राधिकार

2.2 सामान्य स्पष्टीकरण

2.3 सामान्य अपवाद

2.4 दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र

2.5 झूठे साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध : झूठे सबूत गढ़ना, जान-बूझकर चूक और झूठी जानकारी, अपराध का झूठा आरोप और अपराधी को शरण देना

2.6 सिक्के और सरकारी स्टाम्प सिक्के से संबंधित अपराध : परिभाषा; जालसाजी, बनाना या बेचना और उसके लिए उपकरण और सामग्री रखना; नकली सरकारी स्टाम्प का वितरण या उसे रखना तथा नकली सरकारी स्टाम्प बनाना, स्टाम्प के उपयोग को दर्शाने वाले चिह्न रखना, इनका उपयोग करना और इनके उपयोग के निशान मिटाना।

2.7 मानव शरीर के विरुद्ध अपराध : जीवन को प्रभावित करने वाले अपराध; चोट, गंभीर चोट; सदोष अवरोध और परिरोध (रॉन्ग फुल रेस्ट्रेंट एंड कनफाइनमेंट); अपहरण और अगवा करना और यौन अपराध : बलात्कार

2.8 संपत्ति के विरुद्ध अपराध: चोरी, जबरन वसूली, लूट, डकैती

आपराधिक दुर्विनियोजन और आपराधिक न्यासभंग (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट)

2.9 दस्तावेजों और संपत्ति के निशान से संबंधित अपराध : जालसाजी, झूठे दस्तावेज, मूल्यवान प्रतिभूति, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जालसाजी उपकरण या निशान बनाना, खातों का फर्जीवाड़ा, संपत्ति के निशान के साथ छेड़छाड़ और मुद्रा नोटों और बैंक नोटों की जालसाजी

2.10 अपराध करने का प्रयास : तैयारी और प्रयास

2.11 संहिता के तहत दंड

3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

3.1 सामान्य परिभाषाएं

3.2 तथ्यों की प्रासंगिकता; स्वीकार्यता; इकबालिया बयान

3.3 तीसरे व्यक्तियों की राय; विशेषज्ञ की राय

3.4 मौखिक साक्ष्य

3.5 दस्तावेजी साक्ष्य : प्राथमिक और द्वितीयक (सेकेन्ड्री); हस्ताक्षर का प्रमाण, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर; सार्वजनिक और निजी दस्तावेज और मानित दस्तावेज (प्रिजंप्शन्स टु डॉक्यूमेंट)

3.6 सबूत जुटाने की जिम्मोदारी (बर्डन ऑफ प्रूफ): सबूत जुटाने की जिम्मेनदारी किसकी है; विवाहित महिलाओं को आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज हत्या की उपधारणा

3.7 गवाह; गवाहों की पात्रता (कंपीटेन्सी); विशेषाधिकार प्राप्त पत्रादि (प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस); राज्य और आधिकारिक पत्रादि के मामलों के बारे में साक्ष्य

3.8 गवाहों का परीक्षण

4. **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946**

4.1 विशेष पुलिस बल के गठन का उद्देश्य और कारण

4.2 विशेष पुलिस स्थापना का गठन और शक्तियां

4.3 विशेष पुलिस स्थापना का अधीक्षण एवं प्रशासन

4.4 अन्य क्षेत्रों में विशेष स्थापना की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार

4.5 केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 26 का दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 पर लागू होना

5. शस्त्र अधिनियम, 1959

5.1 हथियार और गोला-बारूद रखना, बिक्री और परिवहन

5.2 लाइसेंस प्रदान करने, इससे इनकार करने और इसके नवीनीकरण से संबंधित प्रावधान

5.3 गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियां और प्रक्रियाएं

5.4 गुप्त उल्लंघनों के अपराध और दंड, लाइसेंस रखना और इसका उल्लंघन

5.5 हथियारों का भंडारण, आपराधिक उत्तरदायित्व, गिरफ्तारी और तलाशी, अपराधों का संज्ञान

भाग-ख

6. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

6.1 संहिता की प्रयोज्यता

6.2 परिभाषाएं

6.3 आपराधिक न्यायालय: वर्गीकरण, शक्तियां और क्षेत्राधिकार

6.4 अभियोजन प्रणाली : लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक तथा अभियोजन निदेशालय

6.5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी : गिरफ्तारी के लिए पुलिस की शक्तियां, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार

6.6 विवश उपस्थिति की प्रक्रिया : समन, गिरफ्तारी का वारंट और कुर्की की उद्घोषणा

6.7 वस्तुओं को पेश करने के लिए बाध्य करने की प्रक्रिया : समन, तलाशी और जब्ती

6.8 पुलिस को सूचना (एफआईआर)

6.9 जांच : पुलिस की शक्तियां और प्रक्रिया

6.10 आरोप-पत्र और आरोप निर्धारण

6.11 प्ली बारगेनिंग: प्रयोज्यता, न्यायालय की शक्ति और प्रक्रिया

6.12 जमानत : विभिन्न प्रकार, जमानत और बांड के संदर्भ में प्रक्रिया संबंधी प्रावधान

6.13 संदर्भ, पुनरीक्षण और अपील

6.14 अपराधों का संज्ञान लेने की सीमा

7. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

7.1 लोक कर्त्तव्य और लोक सेवक का अर्थ
7.2 विशेष न्यायाधीशों का क्षेत्राधिकार

7.3 अधिनियम के तहत अपराध : लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से परितोषण लेना, लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार, अपराधों के लिए उकसाना, आदतन अपराध करना, आदि।
7.4 अभियोजन हेतु स्वीकृति : सरकार की शक्ति और प्रक्रिया
7.5 अपराधों की जांच : पुलिस की शक्तियां और प्रक्रिया

8. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

8.1 अधिनियम का दायरा और प्रयोज्यता
8.2 परिभाषाएं: कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर संसाधन, कंप्यूटर सिस्टम, डाटा, डिजिटल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सूचना और मध्यस्थ (इंटरमीडियरी)
8.3 कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए दंड
8.4 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराध : हैकिंग, डाटा चोरी, प्रतिरूपधारण द्वारा धोखाधड़ी, अश्लील जानकारी का प्रकाशन / संचारण, फिशिंग
8.5 कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए जुर्माना
8.6 अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दंड और सजा
8.7 नेटवर्क सेवा प्रदाताओं की देयता

9. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

9.1 अधिनियम का दायरा और प्रयोज्यता
9.2 परिभाषाएं: अपराध से अर्जित धन (प्रोसीड्स), अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले अपराध, धन शोधन की परिभाषा
9.3 प्राधिकारियों की शक्तियां और प्रक्रिया : समन, तलाशी और जब्ती, कुर्की, अधिनिर्णयन और जब्ती
9.4 बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यस्थों के दायित्व
9.5 राज्य के मामलों और आधिकारिक पत्रादि (कम्युसनिकेशंस) के संदर्भ में साक्ष्य और पुलिस की शक्तियां
9.6 विशेष न्यायालयों की शक्तियां और क्षेत्राधिकार

10. भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018

10.1 अधिनियम की प्रयोज्यता

10.2 परिभाषाएं : भगोड़ा आर्थिक अपराधी, अपराध से अर्जित धन (प्रोसीड्स)

10.3 भगोड़े आर्थिक अपराधियों के संदर्भ में उद्घोषणा : शक्ति और प्रक्रिया

10.4 भगोड़े अपराधियों की संपत्ति की जब्ती : सर्वेक्षण, तलाशी, जब्ती और संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया

11. केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003

11.1 केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन

11.2 केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य और शक्तियां

11.3 नेकनीयती से की गई कार्रवाई, जांच की रिपोर्ट और संदर्भ

11.4 नियम और विनियम बनाने, निरसन और बचाव की शक्ति

11.5 प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की नियुक्ति

***

शारीरिक मानदंड :

(क) ऊंचाई : पुरूषों के लिए – 165 से.मी.
महिलाओं के लिए – 150 से.मी.
पर्वतीय क्षेत्र तथा जनजाति के लिए – 5 से.मी. की छूट

(ख) छाती : 76 से.मी. फुलाव के साथ
(महिला उम्मीदवारों के मामले में इस प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं होगी)

(ग) नजर :
दृष्टि (चश्मे के साथ या चश्मे के बिना)
दूर दृष्टि : एक आंख में 6/6; तथा दूसरी आंख में 6/9
निकट दृष्टि : एक आंख में 0.6; तथा दूसरी आंख में 0.8

****